रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2010/वैशाख 28, 1932
No. 265] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2010/VAISAKHA 28, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2010

सा.का.नि. 419(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 22 अगस्त, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597(अ), तारीख 22 अगस्त, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (बड़े उपभोक्ताओं की स्टॉक रखने की सीमा) आदेश, 2010 है ।

(2) यह 21 मई, 2010 से प्रवृत्त होगा ।

2. **बड़े उपभोक्ताओं की स्टॉक रखने की सीमा.**—कोई व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई, जो प्रति मास दस क्विंटल से अधिक चीनी का कच्चे माल के रूप में किसी रीति में उपयोग या खपत अपने उत्पादन या खपत या उपयोग के लिए करती है, ऐसे उपयोग या खपत के लिए किसी भी समय पंद्रह दिन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगी :

परंतु इस आदेश के उपबंध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय निकाय या पूर्त न्यास द्वारा चलाई जा रही संस्था अस्पताल, कामकाजी पुरुष या महिला हॉस्टल या किसी शैक्षिक संस्था के छात्रावास पर लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई द्वारा किसी विशेष मास में चीनी का औसत उपयोग या खपत दस क्विंटल से अधिक है या नहीं, इस प्रश्न का अवधारण किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति, स्थापन या इकाई के पिछले बारह मास में चीनी के मासिक उपयोग या खपत पर विचार करने के पश्चात् जारी किए गए प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाएगा;

(ख) 'चार्टर्ड एकाउंटेंट' का अर्थ वही है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में है ।

3. **प्रवृत्त रहने की अवधि.**— यह आदेश 21 मई, 2010 से ही नब्बे दिनों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[फा. सं. 1-17/98-एस.पी.वाई. डी. II]
आर. पी. भागरिया, मुख्य निदेशक (शर्करा)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2010

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution notification number G.S.R. 597 (E) dated the 22nd August, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd August, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Stockholding Limit of Bulk Consumers) Order, 2010.

(2) It shall come into force from the 21st day of May, 2010.

2. **Stockholding Limit of Bulk Consumers.**—No person, establishment or industrial unit using or consuming more than ten quintals of sugar per month as raw material for production, consumption or use, in any manner, shall keep in stock sugar for any period exceeding fifteen days for such consumption or use :

Provided that the provisions of this Order shall not apply to any institution belonging to the Central Government or a State Government or Union Territory Administration or local body or run by a charitable trust, hospital, hostel for working men or women or a hostel of any educational institution.

Explanation.—For the purposes of this Order,—

(a) the question whether the average use or consumption of sugar by a person, establishment or industrial unit in any particular month exceeds ten quintals or not, shall be determined by a certificate issued by a Chartered Accountant after taking into account the monthly use or consumption of sugar by such person, establishment or unit in the last twelve months;

(b) "Chartered Accountant" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949).

3. **Period of operation.**—This Order shall remain in force for a period of ninety days on and from the 21st May, 2010.

[F. No. 1-17/98-SPY. D. II]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.